

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 7(2)ग्रावि/गुप-1/रा.का. 00001/2018

जयपुर, दिनांक:

—आदेश—

21 JUN 2018

श्री शंकर लाल चपलोत, अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा), जिला परिषद, डूंगरपुर की स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति दिनांक 31.08.2018 होने के कारण श्री चपलोत की सेवाएं तत्काल प्रभाव से इनके पैतृक विभाग—जलग्रहण विकास एवं भू—संरक्षण विभाग को लौटाई जाती हैं एवं निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपनी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग (जलग्रहण विकास एवं भू—संरक्षण विभाग) में प्रस्तुत करें ।


संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

E-mail dsadmn_rdd@yahoo.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर ।
4. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू—संरक्षण विभाग, राज. जयपुर ।
5. जिला कलक्टर, डूंगरपुर ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, डूंगरपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया श्री चपलोत को तत्काल कार्यमुक्त कर अवगत करावें ।
7. श्री शंकर लाल चपलोत, अधिशाषी अभियन्ता(महात्मा गांधी नरेगा), जिला परिषद, डूंगरपुर ।
8. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।


(राजेश कुमार शर्मा)
परियोजना अधिकारी(प्रशासन)